

सूति पत्र

- 1 संस्था का नाम : गीतार्दीप एजूकेशन सोसायटी
- 2 पंजीकृत पता : मौ० प्रद्युमन नगर, राहारनपुर (उ०प्र०)
- 3 कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश
- 4 उद्देश्य 1. समाज के पिछड़े हुये उपेक्षित वर्ग के लोगों को शैक्षणिक, सामाजिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना।
2. समाज में महिलाओं का शिक्षा के माध्यम से पिछड़ापन दूर करना।
3. समाज में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु प्राइमरी से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा संस्थायें, वावनालय एवं पुस्तकालय खुलवाना व उनका संचालन करना।
4. समाज विकास के लिये व्यायामशाला व क्रीड़ा स्थल का प्रबन्ध करना।
5. सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम निर्धारित करना। तथा विचार गोष्ठी सेमिनार आदि की व्यवस्था करना।
6. पर्यावरण एवं प्रदूषित कारोबरण शुद्ध करना / कराना।
7. प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा का प्रवार प्रसार करना।
8. समाज के निर्धन वर्ग के लिये निःशुल्क रिलाई, कढाई, कम्पूटर पैट्रिंग, डिजाईनिंग आदि में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना।
9. कुष्ट तथा अपाहिज एवं संक्रामक रोगों से ग्रस्त निराश्रित निःराहाय लोगों की निःशुल्क विकित्ता ली सुविधा प्रदान करना।
- 10 प्राकृतिक आपदाओं से समाज को जागरूक करना।

सत्य प्रतिलिपि

क्रमांक: 2


 कम्ते, संगठनात्मक एवं बिट्टु
 राहारनपुर नगरपालिका नियन्त्रण पाल

- 11 महिला एवं बाल विकास के लिये सभी प्रकार के कार्य करना।
- 12 जाति, धर्म और भाषा के आधार पर उत्पन्न द्वेष, वैग्ननस्य की भावना को दूर कर राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना।
- 13 मेघावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करना।
- 14 गरीबों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना।
- 15 सरकार की योजनाओं से समाज को जागरूक कराना।

1) Jagdish
2) Renu
3) Meenakshi
4) Rati Patel
5) Vibrant
6) Shyam Kumar
7) Meenakshi



सत्य प्रतिलिपि

प्र
कम्ते, सामाजिक एवं चिट्ठ
उदासनार विद्यालय सहारनपुर

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पते, पद व व्यवसाय जिनके संस्था के नियमानुसार संस्था के प्रबन्ध एवं संचालन का कार्यभार सौंपा गया है।

क्र. स.	नाम, पिता/पति का नाम एवं पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र स्व० श्री फकीरचन्द निवासी 2/1436 कोर्ट रोड पुलिस लाइन न्यू आ० वि० सहारनपुर।	अध्यक्ष	नौकरी
2.	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी सब-इलेक्शन ऑफिसर, ऑफिसर कॉलोनी, विजनौर।	उपाध्यक्ष	नौकरी
3.	श्री प्रशान्त वर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, निवासी 2बी/3078/1 कोर्ट रोड पुलिस लाइन, सहारनपुर	सचिव	व्यापार
4.	श्रीमती गीता रानी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद वर्मा नि० म०न० 2/1436, प्रद्युमन नगर, सहारनपुर	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5.	श्री विक्रान्त वर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद वर्मा निवासी 2बी/3078, कोर्ट रोड, पुलिस लाइन सहारनपुर।	सदस्य	व्यापार
6.	श्री अनुज कुमार पुत्र श्री सोहन लाल धारिया निवासी नया हसनपुर माजरा ताहरपुर, सहारनपुर।	सदस्य	नौकरी
7.	श्रीमती मिनाक्षी पत्नी श्री अनुज धारिया निवासी नया हसनपुर माजरा ताहरपुर, सहारनपुर।	सदस्य	समाजसेवा

1) Jagdish Prasad हालांकि दोषित करते हैं कि हमने इस समूहे पुत्र तथा सुलान नियमानुसार
के अनुसार सुधारी राजिकाशन सेक्ट 18(१) के अन्तर्गत एवं समिति के
गठन किया है।

2) Dinesh Kumar

3) Vibrant

4) Gita Ranji

सत्य प्रतिलिपि

सहारनपुर जिल्हा
पाल, सोपायडीज एवं चिट्ठा
सहारनपुर गण्डव सहारनपुर

5) Vibrant
6) Dinesh Kumar
7) Minalakshmi

नियमावली

1. संस्था का नाम : गीतादीप एजूकेशन सोसायटी
2. पंजीकृत पता : गौर प्रद्युमन नगर, सहारनपुर (उ०प्र०)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : रामस्त उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों का वर्ग:

(अ) आजीवन सदस्य:

- 1) Jogesh
- 2) Dinesh
- 3) Neha
- 4) गीता रानी
- 5) Vishwajeet
- 6) Anuj Kumar
- 7) Meenakshi



(ब) सामान्य सदस्य:

: भारतीय नागरिक जो बालिग हो, दिवालिया, पागल, किसी अदालत से सजा आपता न हो तथा संस्था को एक मुश्त रु 11000.00 या इसके समकक्ष सम्पत्ति प्रदान करे प्रत्येक स्त्री/पुरुष संस्था का आजीवन सदस्य बन सकता है।

(स) विशिष्ट सदस्य:

: भारतीय नागरिक जो बालिग हो, पागल, दिवालिया, किसी अदालत से सजा आपता न हो, लिंग, जाति, समुदाय तथा भाषा के भेदभाव के बिना और जो संस्था को रु 5000/ एक मुश्त या समकक्ष सम्पत्ति दान कर प्रदान करेगा संस्था का विशिष्ट सदस्य बन सकता है।

5 सदस्यता की समाप्ति

: संस्था को धोखा देने वाले पागल होने पर, मृत्यु होने पर, किसी अदालत द्वारा सजा पर, गवन करने पर, संस्था की तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर,

सत्य प्रतिलिपि

सहारनपुर जज न्यायालय
फन्ड, सोसायटी न एवं चिट्ठा
सहारनपुर नगर, सहारनपुर

त्याग पत्र देने पर, सदस्यता शुल्क अदा न करने पर राष्ट्रद्वाही होने पर, संस्था के विरुद्ध कार्य करने पर तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

6 संस्था के अंग

- (अ) साधारण सभा :
(ब) कार्यकारिणी सभा।

7 साधारण सभा

- (अ) गठनः
सभी उपरोक्त विभिन्न सदस्यों के वगौं को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।
- (ब) बैठकः
साधारण सभा की बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक अध्यक्ष के विवेक पर अनिवार्य समझते हुए 15 दिन की पूर्व सूचना द्वारा तथा 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कभी भी बुलायी जा सकती है।
- (स) सूचना :
सामान्य बैठक हेतु 30 दिन तथा विशेष बैठक 15 दिन की पूर्व अवधि: सूचना देने पर कभी भी बुलायी जा सकती है।
- (द) कोरमः
साधारण सभा की बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों को होगा तथा बैठक 1/3 कोरम पर स्थगित मानी जायेगी।
- (य) वाधिक अधिवेशनः
साधारण सभा की बैठक अप्रैल में जितना सम्भव हो थीघ बुलायी जायेगी और इस बैठक में प्रबंधकारिणी और रावरगाँ का चुनाव तथा व्यवस्था होने पर सम्बन्धित विषयों पर भी विचार किया जायेगा।

संसदीय राजिका
कम्युनिकेशन एवं विदेश
सहायता पूर्व वर्तन सहायता प्रबन्ध

(र) साधारण सभा का अधिकार एंव कर्तव्यः

- 1 प्रबन्धकारिणी समिति का प्रत्येक तीन वर्ष पर चुनाव कराना ।
- 2 भावी योजना पर विचार विमर्श करना तथा उसे स्वीकृत करना ।
- 3 संस्था गत वर्ष आय व्यय का अवलोकन करना ।
- 4 अध्यक्ष की अनुमति से अवलोकन करना ।

8 प्रबन्ध कारिणी सभा:

(अ) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एंव सदस्यों का चुनाव संस्था की साधारण सभा की बैठक में किया जायेगा जिनकी कुल संख्या वर्तमान में 7 (सात) होगी परन्तु भविष्य में पदाधिकारियों एंव सदस्यों की संख्या 31 तक हो सकती है।

(ब) बैठकः

: संस्था के प्रबन्धकारिणी सभा की बैठके कम से कम माह में एक बार होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर आस्मिक बैठकें अध्यक्ष के अनुरोध पर कभी भी 24 घण्टे की सूचना देने पर बुलायी जा सकती है।

(स) सूचना अवधि :

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक 7 दिन पूर्व सूचना देने पर आंमत्रित की जा सकती है तथा आकस्मिक बैठक आवश्यकता पड़ने पर 24 घण्टे की सूचना पर बुलाई जाती है।

(द) कोरम

: बैठक का कोरम $\frac{2}{3}$ सदस्यों का होगा तथा स्थगित बैठक $\frac{1}{3}$ कोरम पर ही बैध गानी जायेगी और सभी निर्णय सदस्यों के बहुमत द्वारा लिये जायेगे।

संघ प्रतिविर्द्धि

संघकरण संस्कार
कम्बल, दोसायटीन लाख चिन्हित
सहासनपुर मण्डल, महाराष्ट्र

(य) स्थानों की पूर्ति:

: प्रबन्ध कारिणी सभा में यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति शेष अवधि के लिये साधारण सदस्यों के बहुमत में से करेगी।

(र) प्रबन्धकारिणी सभा का कर्तव्य:

- 1 संस्था के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करना।
 - 2 संस्था की उन्नति हेतु चन्दा, अनुदान एवं धन प्राप्त करना तथा उसे संस्था के डित में उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लगाना।
 - 3 संस्था की उन्नति के लिये चल /अचल सम्पत्ति अर्जित करना एवं उसकी देखरेख की व्यवस्था करना।
 - 4 संस्था के उद्देश्यों पूर्ति हेतु राज्य सरकार /भारत सरकार, 30 प्र० खादी बोर्ड के न्द्रीय खादी आयोग ख बोर्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय निगम /संस्थाओं से ऋण अनुदान प्राप्त करके अपने कार्यकार्मों का संचालन करना।
 - 5 संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति /पदच्युत तथा उनकी सेवा शर्ते नियमानुसार निहित करना।
 - 6 संस्था के लेखा जोखा को रखने की व्यवस्था करना।
 - 7 आगामी वर्ष के बजट तैयार करना।
 - 8 संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समस्त कार्य करना जो आवश्यक तथा नियमानुसार हो।
- 9 कार्यकाल: प्रबन्ध कार्यकारिणी सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।

सत्य प्रतिलिपि

संहाइन अधिकारी
कामे नियन एवं चिट्ठा
सहाइनपुर बण्डल सहाइनपुर

10 प्रबन्ध कार्यकारणी सभा के पदाधिकारियों के अधिकार एंव कर्तव्य :

: प्रबन्ध कार्यकारणी सभा में निम्न पदाधिकारी एंव सदस्यगण होंगे :

: 1.अध्यक्ष 2.उपाध्यक्ष 3.सचिव 4.कोषाध्यक्ष 5.सदस्य—3

अध्यक्ष :

1) Jogesh

2) Praveen

3) Nitin

4) Pratap 21वी

5) Vikrant

6) Shivam Kumar उपाध्यक्ष

7) Mansukhi सचिव



1. सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा संस्था के कार्यों की देखरेख एंव मूल्यांकन करना।

2. सचिव एंव कोषाध्यक्ष के साथ बैक सेवा आहंरण करना तथा समस्त बिल, बाउचर आदि पर अनुमोदित हस्ताक्षर करना।

3. संस्था की साधारणा सभा एंव प्रबन्ध कारिणी सभा द्वारा पारित किये गये प्रस्तावों को कार्यान्वित करना।

4. कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा सेवा मुक्ति की स्वीकृति देना।

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सभी कार्यों/कर्तव्यों का निष्पादन करना।

1. संस्था की बैठकों को बुलाना एंव प्रबन्ध करना।

2. संस्था के लिये नये वर्ष का बजट बनाना तथा प्रबन्ध कारिणी सभा की स्वीकृति लेकर लेखा-जोखा आडिट करना एंव प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।

3. संस्था हेतु प्रबन्ध कारिणी समिति की स्वीकृति से आर्थिक सहायता ऋण, अनुदान, चदां एंव चल, अचल सम्पत्ति जुटाना।

4. संस्था द्वारा जारी चैकों पर हस्ताक्षर करना।

5. संस्था के समरत कागजातों को सुव्यवसिथत ढंग से रख-रखाव करना तथा बाहर भेजे जाने वाले कागजातों को प्रमाणित करना।

1. सदस्यों से प्राप्त शुल्क तथा लेखा-जोखा की रिपोर्ट तैयार करना तथा सम्बन्धित कामजातों के बैक बुकों का रख-रखाव करना और बैकों पर हस्ताक्षर करना।

कोषाध्यक्ष

11. कानूनी कार्यवाही : संस्था रो सम्बन्धित समस्त कानूनी कार्यवाही अध्यक्ष के गाध्यग रो होगी पक्ष विपक्ष विवादो की पैरवी सचिव करेगा।
12. विसर्जन : यदि संस्था किसी कारणवश समाप्त होती है तो उसके विसर्जन की समस्त कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की धारा 13 व 14 के अनुसार पूर्ण की जायेगी।
13. नियमावली मे सशोधन यदि संस्था के विधान मे किसी भी प्रकार का सशोधन करना अनिवार्य हो तो साधारण सभा की विशेष बैठक मे 315 बहुमत से सशोधन अथवा परिवर्तन किया जा सकता है।
14. संस्था का कोष : संस्था का कोष खाता किसी भी मान्यता प्राप्त बैक अथवा डाकघर मे संस्था के नाम से खोला जायेगा। संस्था के अध्यक्ष एवं रायिव मे से किसी एक के हस्ताक्षरों द्वारा खाते का संचालन किया जायेगा।
15. आडिट : संस्था को आय व्यय का आडिटर द्वारा कराया जायेगा यदि आवश्यक हुआ तो चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा संस्था के लेखों-जोखों का आडिट कराया जायेगा।
16. संस्था के अभिलेख: 1 रादर्स्यता रजिस्टर
2 कार्यवाही रजिस्टर
3 स्टॉक रजिस्टर
4 कैश बुक, लेजर आदि।
17. संस्था के समस्त वादो का निरतारण सहारनपुर न्यायालय मे ही होगा।



सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

1. श्री जगदीश प्रसाद वर्मा Jagdish
2. श्री मुकेश कुमार Mukesh Kumar
3. श्री प्रशान्त वर्मा Prashant
4. श्रीमती गीता रानी Gita Rani
5. श्री विक्रान्त वर्मा Vikrant
6. श्री अनुज कुमार Anuj Kumar
7. श्रीमती गीनाक्षी Geenakshi

सत्य प्रतिक्रिया

अ. विवादी
कर्मी, सोसाइटी रजिस्टर विभाग
सहारनपुर यांडल सहारनपुर